ई–अदालत, अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

(3)

आर0ई0आर0 केश नं0– 06 / 17–18

मो0 देवज्ञानी बनाम् कैलाश सिंह

7-3-18

–: आदेश :–

उक्त वाद मो0 देवज्ञानी, पति–स्व0 किशोर शुक्ला, सा0–महागामा, थाना–महागामा ,जिला–गोड्डा के आवेदन के आधार पर मौजा–लीलाम्बर नं0–588, जमाबंदी नं0–01, दाग नं0–25, रकवा– 00–08–00 धूर जमीन से विपक्षी को उच्छेद करने हेतु प्रारंभ किया गया है।

दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का आवलोकन किया।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–लीलाम्बर नं0–588, जमाबंदी नं0–01 आवेदक का पैतृक जमीन है, जिसके खतियानी रैयत गजाधर शुक्ल वो भजो शुक्ल, पे0–हरि शुक्ल व उचित शुक्ल वल्द नन्दलाल शुक्ल, कौम–ब्राह्मण, सा0–महागामा कहकर दर्ज है। आवेदकगण स्व0 उचित शुक्ल के वंशज है तथा सम्पूर्ण जमाबंदी का जमीन मिले–जुले हैं तथा कोई बटवारा नहीं हुआ है। जमाबंदी रैयत, उचित शुक्ल अपने पीछे दो पुत्र कमशः गणेश शुक्ल वो प्रयाग शुक्ल छोड़कर फौत कर गये। पुनः प्रयाग शुक्ल अपने पीछे शालिग्राम शुक्ल को छोड़कर फौत कर गये। शलीग्राम शुक्ल को तीन पुत्र कमशः शिवकुमार शुक्ला, स्व0 किशोर शुक्ला एवं बमबम शुक्ला हुए। स्व0 किशोर शुक्ला का देहांत हो चुका है एवं उनकी पत्नी का नाम मोसमात देवज्ञानी देवी है, जो इस आवेदन में आवेदिका है। साथ ही बमबम शुक्ला भी इस वाद में आवेदक है। गणेश शुक्ला भी अपने पीछे तीन पुत्र कमशः कैलोश शुक्ला, प्रकाश शुक्ला एवं चन्द्र किशोर शुक्ला को छोड़कर फौत कर गए। आवेदकगण के हिस्से में मौजा–लीलाम्बर नं0–588, जमाबंदी नं0–01, दाग नं0–25 में कुल रकवा– 03–13–18 धूर जमीन में से 01–16–19 धूर भूमि जोत–आबाद के लिए दिया गया। विपक्षी कैलाश सिंह ने आवेदकगण के मौजा–लीलाम्बर नं0–588, जमाबंदी नं0–01, दाग नं0–25 में जबरदस्ती 00–08–00 धूर जमीन पर जो किस्म–खेती–बाड़ी का है। इस पर नींव खोदकर मकान बनाने की योजना बना रहे हैं। विपक्षी बाहरी व्यक्ति हैं एवं उनका आवेदकगण के जमीन से कोई सरोकार नहीं है। अंत में विपक्षी को उक्त विवादित भूमि से उच्छेद करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के विक्ष अधिवक्ता का कहना है कि आवेदन जो आवेदिका मो0 देवज्ञानी देवी एवं अन्य के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत् दाखिल किया गया है, वह विपक्षी पर कानून एवं तथ्यो के आधार पर सही नहीं होता है। मौजा– लीलाम्बर, जमाबंदी नं0–01 दाग नं0–25, जिसका रकवा 00–08–00 में है उसका खतियानी रैयत गेंजर सर्वे सेटलमेंट के पर्चा में गजाधर शुक्ला वो भजो शुक्ला, पिता–रवि शुक्ला, उचित शुक्ता, पिता–नन्दलाल शुक्ला एवं अन्य है। खतियानी रैयत में मौजा–लीलाम्बर

Digitally signed by ALOK WARAN KESHRI
Date: 2025.01.03 17:04:18 +05:30
Location: 192.168.1.51